FORM No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

मांगीलाल बनाम धनश्याम वगैरह

किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नंबर ...27 / 23....... सन................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-09-23	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित आये। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद पक्षकारान की आपसी सहमति से विड्रो करने के कारण खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र का अब आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 19–06–2023 को जारी की गई अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (**Vacate**) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	वादी / प्रार्थी मांगीलाल मेघराज मीणा एड० अप्रार्थी धनश्याम रामोतार

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

मांगीलाल बनाम धनश्याम वगैरह

किस्म मुकदमा –स्थाई निषेधाज्ञा नंबर ....31 / 23.. सन.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-09-23	वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत *दावा स्थाई निषेधाज्ञा को विड्रो करने* पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित आये। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि हम पक्षकारान में आपसी समझाईस से समझौता हो चुका है। इसलिए वादी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। वादी उक्त उनवानी प्रकरण को अपने पूर्ण होश एवं हवाश तथा स्वेच्छा से बिना किसी दवाब के उक्त पत्रावली को इसी स्तर पर विड्रो(खारिज) करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विड्रो करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। हमने वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के राजीनाम होने के कारण दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अड.चन नही होने से प्रार्थना पत्र बावत् किये जाने विड्रो दावा स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अतः वादी का वाद राजीनामा हो जाने के कारण खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जा कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्डअधिकारी मंडावर(दौसा) उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	वादि पक्ष मांगीलाल प्रतिवादी घनश्याम रामोतार